राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांकः-एफ13(4)/निजभूस/सं.नि/कृषि-2/2014/4594-4635 दिनांकः- 16/12/2014

परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद, समस्त ....

विषयः- चारा कुट्टी मशीन वितरण कार्यक्रम के सन्दर्भ में।
प्रसंगः- निदेशालय जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः- एफ13(4)/निजभूस/सं.नि/कृषि-2/2014/2966-3012 दिनांक 18.07.2014 एवं अधीक्षण अभियन्ता पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर जयपुर के पत्र क्रमांक एफ1() स्टोर/व्ब्क जयपुर/निविदा/2014-15/5291 दिनांक 22.10.2014 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों एवं दिनांक 23.09.2014 को निदेशालय में आयोजित परियोजना प्रबन्धकों की बैठक में हुई चर्चा के संबंध में लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना में उत्पादन एवं लघु उद्यमिता आधारित जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या 4(द) में स्पष्ट किया गया है कि गतिविधि के अनुमोदन उपरान्त अनुदान का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थी के खाते में चैक द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार कृषक स्वयं कुट्टी मशीन के आपूर्तिकर्ता को पूरी कीमत का भुगतान करेगा एवं परियोजना खाते से अनुदान राशि का चैक लाभान्वित कृषक के खाते में जमा कराया जायेगा। इस तरह की प्रकिया कृषि विभाग में सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है तथा कृषक चारा कुट्टी मशीन लेकर अनुदान का लाभ ले रहें हैं। जलग्रहण विकास एवं भू-सरंक्षण विभाग में भी चारा कुट्टी मशीन उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करें ताकि अधिक से अधिक कृषकों को योजना द्वारा लाभान्वित किया जा सकें। कृषकों को अनुदान भुगतान की प्रकिया निदेशालय के परिपत्र क्रमांकः- एफ13(4)/निजभूस/सं.नि/कृषि-2/2014/2966-3012 दिनांक 18.07.2014 द्वारा निधारित अनुसार रहेगी।

15.12.14
(एम.एस.काला)
निदेशक

क्रमांकः-एफ13(4)/निजभूस/सं.नि/कृषि-2/2014/4594-4635 दिनांकः- 16/12/2014

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (IWMP) निदेशालय जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर।
4. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी.............................. निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. एसीपी, निदेशालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को संबंधित को EMail तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

(आर.पी.कुमावत)
संयुक्त निदेशक कृषि-2

Fol RPkumawat/Letter -2